Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या–236/2026

श्री बिपिन चंद्र तिवारी,
इंडस टॉवर लि0,
मासी, भिक्यासैंण,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
भिक्यासैंण

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन एकाउंट संख्या 40116950857 के सापेक्ष, 22 किलोवाट विद्युत भार के लिए जुलाई 2025 में, लो पॉवर फैक्टर सरचार्ज रू0 4240, अगस्त 2025 में रू0 5299.45, सितबंर 2025 में 5112.68 तथा अक्टूबर 2025 में 5333.55 तथा नवबंर 2025 में 12675.9 टोटल 32661.58 लगाया गया हैं जो कि उचित नहीं है क्योंकि उनके संयोजन के सापेक्ष औसत पावर फैक्टर हमेशा 95 प्रतिशत से ज्यादा रहा है। उन्होने उपरोक्त बिलों को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1138 दिनांक 16.02.2025 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भिक्यासैंण को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 25.02.2026 तथा 17.03.2026 में वादी तथा विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग से कोई आख्या प्राप्त हुयी। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह 10 दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अगली सुनवायी तिथि 06.04.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई दिनाक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्री बिपिन चंद्र उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ ओर ना ही कोई आख्या प्राप्त हुयी। अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 नियत की गयी थी।

4 .मंच की सुनवाई दिनांक 30.04.2026 में वादी तथा विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से पत्रांक 652 दिनाक 20.04.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि वादी के बिलों में से लगाये गये माह जुलाई से नवंबर 2025 के बिलों में लो पावर फैक्टर सरचार्ज की कुल धनराशि रू0 32661.60

30/04/2026 30/4/2026

को हटा लिया गया है। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9001797907 पर सुनवायी की गयी। वादी ने उपरोक्त संशोधन पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

आदेश

विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि वादी के बिलों में लगाये गये माह जुलाई से नवंबर 2025 के बिलों में से लो पावर फैक्टर सरचार्ज की कुल धनराशि रू0 32661.60 को हटा लिया गया है। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9001797907 पर सुनवायी की गयी। वादी ने उपरोक्त संशोधन पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक –30.04.2026

बी0 एस0 बिष्ट उपभोक्ता सदस्य	ओ0पी0 दीक्षित तकनीकी सदस्य	कु0 निर्मला तिवारी न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Lab ... Campus
Syalidhar, Almora - 263601
E-mail - cgrfalmora ...

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ए0पी0 डीडिंर, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.सुश्री निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या 29 / 2026

श्री नारायण सिंह नयाल,
ग्राम– पजैना, ग्राम पंचायत सुरगाड़,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके ग्राम पंचायत पजेना के नर्सी वेतन के मंदिर एंव नर्सी वेतन तोक तक 3 फेस लाईन नहीं है। उन्होंने उपरोक्त तोक तक 3 फेस लाईन लाने तथा मंदिर में विद्युत मीटर लगाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1143 दिनांक 18.02.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 25.02.2026 में वादी तथा विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त हुयी थी। विभाग को कहा गया था कि वह 10 दिन के अंदर प्रकरण में अपनी आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
अगली सुनवायी तिथि 17.03.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2026, तथा 06.04.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान एई.आर उपस्थित हुए। विभाग द्वारा बताया गया कि 03 फेस कनेक्शन के लिए वादी को पुष्टाई करना है।

अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 नियत की गयी थी।

4.मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान एई.आर उपस्थित हुए। विभाग ने बताया कि वादी ने नये संयोजन के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है। वादी को कहा जाता है कि वह निर्धारित प्रपत्रों को भरकर विभाग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ उपखंड कार्यालय, खंड कार्यालय में नये संयोजन के लिए आवेदन करें।

परिवाद संख्या 291/2026

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी ने नये संयोजन के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है। वादी को कहा जाता है कि वह निर्धारित शर्तों को पूर्णकर तथा विभाग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ उपखंड कार्यालय/खंड कार्यालय में नये संयोजन के लिए आवेदन करें। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी द्वारा नये कनेक्शन के लिए निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् नियमानुसार वरीयता के आधार पर कार्यवाही करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नही होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 30.04.2026

बी0 एस0 बिष्ट उपभोक्ता सदस्य	ओ0पी0 दीक्षित तकनीकी सदस्य	कु0 निर्मला तिवारी न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.श्री0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या 292 / 20

श्री कमल सिंह पिंडारी
ग्राम– भौरा, पो0आ0– [illegible]
जिला– अल्मोड़ा। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत। — प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या 40119378267 के सापेक्ष अक्टूबर 2024 से विद्युत का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बीमारी के कारण संयोजन को कटवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1144 दिनांक 18.02.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 25.02.2026 में वादी तथा विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ और ना ही विभाग की तरफ से कोई आख्या प्राप्त हुयी थी। विभाग को कहा गया था कि वह 10 दिन के अंदर प्रकरण में अपनी आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अगली सुनवायी तिथि 17.03.2026 नियत की गयी थी।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2026 तथा 16.04.2026 में वादी तथा प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही विभाग की तरफ कोई आख्या प्राप्त हुयी है। वादी ने अपनी शिकायत में संयोजन को काटने के लिए निवेदन किया है। विभाग को पुनः निर्देशित किया गया था कि वादी के शिकायत पत्र जो पुनः संलग्न किया गया था, पर अपनी आख्या मंच को अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

4.मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 में वादी से फोन के माध्यम से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 9990873132 पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से श्री [illegible] उपखंड अधिकारी मय श्री भास्कर पाण्डे अवर अभियंता उपस्थित हुए।

30/04/2026 30/04/2026 [illegible]

विभाग ने बताया कि [illegible] 05057077 के सापेक्ष अघतन् अंतिम बिल रू0 3623.00 लंबित है जिसे जमा [illegible] 300 पीडी शुल्क के बाद वादी के संयोजन की पीडी कर दी जाएगी। वादी को उपरोक्त [illegible] के लिए अवगत करा दिया गया है और वादी उपरोक्त से संतुष्ट है।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी का संयोजन संख्या आरएन6305057077 के सापेक्ष, अघतन् अंतिम बिल रू0 3623.00 लंबित है जिसे जमा कराने के पश्चात तथा 300 पीडी शुल्क जमा कराने के बाद वादी के संयोजन की पीडी कर दी जाएगी। वादी को उपरोक्त शुल्क जमा कराने के लिए अवगत करा दिया गया है और वादी उपरोक्त से संतुष्ट है। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वादी द्वारा उपरोक्त राशि जमा कराने के पश्चात् वादी की पीडी 15 दिन के अंदर करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फोरम मे दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 30.04.2026

बी0 एस0 बिष्ट	ओ0पी0 दीक्षित	कु0 निर्मला तिवारी
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum,
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – [illegible]
E-mail - cgrfalmora[illegible]

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ०पी० दीक्षित सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3–ह0 [illegible] तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या 295 / [illegible] / 2026

श्री आनंद सिंह,
ग्राम गौना, पो0ऑ0–[illegible]
जिला– अल्मोड़ा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोड़ा। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर24412407049 के सापेक्ष फरवरी माह 2026 में उनका बिल रु0 18[illegible] प्राप्त हुआ है जो कि विगत में 200–300 रु0 तक आते थे। उन्होने बताया कि उनके परिसर में चेक मीटर लगाया गया था जो कि अभी लगा हुआ है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या [illegible]157 दिनांक 05.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 08.04.2026 में वादी की तरफ से श्री आनंद सिंह मय श्री दीवान सिंह तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर 24412407049 के सापेक्ष विगत में रु0 200–250 प्रतिमाह विद्युत बिल आते रहे है लेकिन दिसबंर 2025 में एकाएक उनका बिल 18705 आया है और इसके बाद के बिल ठीक आ रहे है।

विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। बिलिंग हिस्ट्री देखने से ज्ञात होता है कि वादी के बिल विगत में प्रतिमाह 50 यूनिट से कम निर्गत किये गये है लेकिन एकाएक दिसबंर 2025 में 2338 यूनिट का बिल रू0 18096 निर्गत हुआ हैं जो कि गलत प्रतीत होता है।

विभाग के अनुसार दिसबंर 2025 माह में 2338 यूनिट का बिल निर्गत होने का कारण या तो मीटर की जंप रीडिंग है या फिर जंप रीडिंग का प्रकरण है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वह मीटर की एम.आर. आई कराकर पिछले [illegible] की एम.आर.आई विवरण के साथ अपनी विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

[illegible signatures]

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक [illegible].04.2026 को वादी की तरफ से श्री आनंद सिंह तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान ई.ई.[illegible] उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि विगत में उनके विद्युत बिल 50 यूनिट प्रमिताह से कम आते रहे है जबकि दिसम्बर 2025 में एकाएक उनका बिल [illegible] प्राप्त हुआ है जो कि संभव नहीं है।

विभाग ने बताया कि वादी के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया था जिसकी तुलना करने पर मेन मीटर सही पाया गया। विभाग ने बताया कि वादी का मीटर वर्ष 201 मे लगाया गया था जिसमें चेकिंग के दौरान आरटीसी फेल पायी गयी। विभाग ने यह भी बताया कि मीटर की एमआरआई होना संभव नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से यह स्पष्ट नहीं है कि दिसम्बर 2025 में 2333 यूनिट का निर्गत बिल जंप रीडिंग का है या डंप रीडिंग का।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिन में अपना मीटर बदल दें, और बदले गये मीटर के चार महिने के औसत विद्युत उपभोग के आधार पर, तथा मौसमी प्रभाव को देखते हुए, 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध करायें, तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील दायर कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 30.04.2026

बी0 एस0 बिष्ट	आर0के0 दीक्षित	कु0 निर्मला तिवारी
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora[illegible]

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1– ओ0पी0 [illegible], सदस्य तकनीकी
2– भूपेन्द्र सिंह [illegible], सदस्य उपभोक्ता
3. कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या 295 / 2026

श्री जगदीश सिंह, पुत्र श्री गोपाल सिंह,
ग्राम तुलेड़ी पो0ऑ0– [illegible], जमराड़ा,
जिला– अल्मोडा। वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोडा। प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर12151917410 के सापेक्ष पहले उनका बिल रू0 80–100 तक आता था लेकिन फरवरी माह में उनका बिल रू0 2403 प्राप्त हुआ है जो कि गलत है। उन्होंने बिल को ठीक करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 159 दिनांक 05.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 17.03.2026 में वादी की तरफ से श्री जगदीश सिंह उपस्थित हुए। विभाग की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग द्वारा फोन पर बताया गया है कि मार्च में जन–जन के द्वार कैंप होने की वजह से उपस्थित नही हो पाए थे और उन्होने अगली सुनवायी के लिए निवेदन किया था अगली सुनवायी तिथि 06.04.2026 नियत की गयी थी। वादी द्वारा कहा गया था कि वह बहुत दूर से आते है अतः उनकी सुनवायी वीसी के माध्यम से की जाए जिसे मच ने स्वीकार कर लिया था विभाग को निर्देशित किया गया था कि 15 दिन के अंदर अपनी आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

3 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। वादी से उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 7526839387 पर बात करने की कोशिश की गयी परंतु उनका फोन नहीं मिला। विभाग ने बताया कि वादी का बिल रू0 2482 बना है जो कि सही है। वादी का पक्ष जानने के लिए अगली सुनवाई तिथि 30.04.2026 नियत की गयी थी।

परिवाद संख्या 295/2026

3 .मंच की सुनवाई [illegible] 2026 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से श्री तुषार [illegible] उपस्थित रहे। विभाग ने बताया कि वादी के बिल रीडिंग आधारित सही निर्गत किये [illegible] दिये गये फोन नं0 7526839387 पर बात करने की कोशिश की गयी [illegible] नहीं उठाया गया।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया कि वादी के बिल रीडिंग आधारित सही निर्गत किये गये है। वादी से बार बार उनके द्वारा दिये गये फोन नं0 7526839387 पर बात करने की कोशिश की गयी परंतु फोन वादी द्वारा नहीं उठाया गया।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। अतः यह निर्णय खुले मंच में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 30.04.2026

बी0 एस0 बिष्ट	[illegible]	कु0 निर्मला तिवारी
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या 300 / 2026

सुश्री निर्मला पाठक, पुत्री श्री रमेश चंद्र पाठक
ग्राम– नहरा गूंठ, पो0आ0–मासर, रानीखेत,
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
रानीखेत।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या आरएन23314022663 के सापेक्ष विगत में बिजली बिल रू0 300–400 के आस–पास आते थे जो कि मीटर रीडर द्वारा नियमित रूप से रीडिंग ना लेने कारण पिछले 06–07 महिनों से यह 23000– 8000– 21,000–3900–3100 रू0 तक निर्गत हो रहे है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1181 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, रानीखेत को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 08.04.2026 में वादी की तरफ से सुश्री निर्मला पाठक उपस्थित हुई। प्रतिवादी की तरफ से श्री आयुष चौहान एस.डी.ओ. से फोन पर बात की गयी। वादी ने बताया कि उनके बुजुर्ग माता– पिता, ग्राम– नहरा गूंठ, पो0 ऑ0– मासर रानीखेत क्षेत्र में रहते है। उनके संयोजन संख्या आरएन. 23314022663 के सापेक्ष विभाग से नियमित रूप से महिनों–महिनों मीटर रीडिंग लेने कोई नहीं आता है। उन्होने बताया कि उनके यहां खपत के अनुसार रू0 300–400 से अधिक बिल नहीं आना चाहिए जबकि विगत महिनों में यह बिल रू0 28000, रू0 3000,रू0 21000,रू0 3900, रू0 3100 की रेंज में आ रहे है जो कि गलत है और मनमाने तरीकों से दिये जा रहे है। उन्होंने बिलों को ठीक कराने के लिए निवेदन किया है। और भविष्य में हर महिने नियमित रूप से सही मीटर रीडिंग का बिल निर्गत करने का अनुरोध किया है।

उपखंड अधिकारी रानीखेत को निर्देशित किया गया था कि वह पिछले 03 साल का स्टेट मेंट ऑफ एकाउंट के साथ संशोधित बिल के साथ मंच की अगली सुनवाई तिथि–30.04.2026 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। वादी ने निवेदन किया था कि वह दिल्ली में रहती है और माता–पिता बुजुर्ग होने की वजह से मंच की सुनवायी में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः उनकी सुनवाई वी.सी के माध्यम से फोन नं0 9871471586 पर की जाए, जिसे मंच ने स्वीकार कर लिया था।

विभाग को यह भी निर्देशित किया गया था कि जब तक वादी का बिल ठीक नहीं हो जाता, तब तक अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 तक वादी की बिजली न काटी जाए।

3.मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 में वादी की तरफ से सुश्री निर्मला पाठक से फोन पर सुनवायी की गयी। विभाग की तरफ से श्री राजेन्द्र बेलवाल, उपखंड अधिकारी मय् श्री भास्कर पाण्डे अवर अभियंता उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मीटर रीडर की कमी होने की वजह से वादी के संयोजन की मीटर रीडिंग नियमित रूप से नहीं ली जा सकी थी। विभाग ने अद्यतन मीटर रीडिंग के आधार पर, वादी का बिल रू0 4813 का बनाया है जिससे वादी को अवगत करा दिया गया है और वह इससे संतुष्ट हैं। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी का संशोधित बिल आज ही उनके व्हट्सअप नं0 9871471586 पर भेज दें और भविष्य में वादी को मीटर आधारित बिल निर्गत किये जाएं।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि मीटर रीडर की कमी होने की वजह से वादी के संयोजन की मीटर रीडिंग नियमित रूप से नहीं ली जा सकी है। विभाग ने अद्यतन मीटर रीडिंग के आधार पर, वादी का बिल रू0 4813 का बनाया है जिससे वादी को अवगत करा दिया गया है और वह इससे संतुष्ट हैं।

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह वादी का संशोधित बिल आज ही उनके व्हट्सअप नं0 9871471586 पर भेज दें और भविष्य में वादी को मीटर आधारित बिल निर्गत किये जाएं।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 30.04.2026

30/04/2026	30/4/2026	
बी0 एस0 बिष्ट	ओ0पी0 दीक्षित	कु0 निर्मला तिवारी
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora

कार्यालय विधुत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विधुत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–आर0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या 308 / 2025

श्री विरेन्द्र कुमार,
ग्राम बल्टा, पो0ऑ0–बल्टा
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोडा।

प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर17711401541 के सापेक्ष जुलाई 2025 में बहुत अधिक बिल आया है जो कि पिछले में 65–90 रू0 तक आता था उन्होंने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1188 दिनांक 25.03.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोडा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 06.04.2026 में वादी की तरफ से श्रीमती धनी घौशिला, (वादी की सिस्टर इन लॉ) तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान एई.आर उपस्थित हुए। वादी का कहना है कि उनके संयोजन संख्या एआर 17711401541 के सापेक्ष पिछले में उनके बिल रू0 100 से नीचे आते रहे है जबकि जून 2025 का बिल एकाएक रू0 20365 आया हुआ है जो कि गलत है।

बिलिंग हिस्ट्री देखने से प्रतीत होता है कि वादी के बिल पिछले में 70 यूनिट से कम निर्गत किये गये है जबकि अक्टूबर 2025 में वादी का बिल 2308 यूनिट का निर्गत हुआ है। वादी का कहना है कि वह एक बी.पी.एल. उपभोक्ता है और उनके यहां सिर्फ 08–10 एल.ई.डी0 बल्ब लगे है। विभाग को निर्देशित किया गया था कि वादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर तथा दिनांक 01.05.2025 से 31.07.2025 तक डे–वाईज एमआरआई0 रिपोर्ट के साथ विस्तृत आख्या मंच की अगली सुनवायी तिथि 30.04.2026 से पहले भेजना सुनिश्चित करें।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 में वादी की तरफ से श्रीमती धनी घौशिला, (वादी की सिस्टर इन लॉ) तथा प्रतिवादी की तरफ से श्री तुषार चौहान एई.आर उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि उनके घर में 09 वॉट के सिर्फ 23 एलईडी बल्ब तथा पानी की मोटर है जबकि टीवी 03 साल से बंद है।

परिवाद संख्या 308/2026

विभाग द्वारा वादी के परिसर के स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि वादी द्वारा एक ही संयोजन से उनके 02 घरों की विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा हाल ही में नये भवन के निर्माण के लिए इसी संयोजन का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वादी के परिसर में 09 वाट के कुल 29 तथा 07 वाट के 02 बल्ब, एक टीवी तथा 02 एसपी की 01 मोटर है।

विभाग द्वारा मीटर की करायी गयी एमआरआई के अनुसार बताया गया है कि एमआरआई रिपोर्ट में वादी का मीटर माह सितबंर–अक्टूबर 2025 में जंप रीडिंग प्रतीत हो रहा है जिसको खराब मानते हुए 29.01.2026 में मीटर बदल दिया गया।

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि मीटर की करायी गयी एमआरआई के अनुसार, एमआरआई रिपोर्ट में, वादी का मीटर माह सितबंर–अक्टूबर 2025 में, जंप रीडिंग प्रतीत हो रहा है जिसको खराब मानते हुए 29.01.2026 में मीटर बदल दिया गया।

इन परिस्थितियों में, विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह बदले गये मीटर के चार महिने के औसत विद्युत उपभोग के आधार पर, तथा मौसमी प्रभाव को रखते, चार महीने व्यतीत होने पश्चात्, 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध करायें, तद्पश्चात् 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

* उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 30.04.2026

30/04/2026	30/04/2026	
बी0 एस0 बिष्ट	अं0वि0 दीक्षित	कु0 निर्मला तिवारी
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@[illegible]

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1– ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2– सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3. कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या 310/20[illegible]

श्री त्रिलोक सिंह,
ग्राम तड़कोट, पो0ऑ0–[illegible]
जिला– अल्मोड़ा।

वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
अल्मोड़ा।

प्रतिवादी

"1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर11345411814/एकाउंट संख्या 40116500525 के सापेक्ष रू0 [illegible] का बिल प्राप्त हुआ है। जो कि 06–07 माह पूर्व पुराने मीटर को बदलकर नये मीटर को लगाने के कारण हुआ है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 214 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 में वादी की तरफ से श्री त्रिलोक सिंह तथा विभाग की तरफ से श्री तुषार चौहान ए.ई.आर उपस्थित हुए। बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार वादी के मीटर की मार्च 2024 में रीडिंग 2260 से बढ़कर मई 2024 में 3754 के अनुसार, दो महिनो का विद्युत बिल 1494 यूनिट रहा है जबकि विगत में वादी का विद्युत उपभोग 50 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा नही रहा है। वादी का कहना है क वह सिर्फ अपनी पत्नी के साथ रहते है और घर में सिर्फ दो बल्व ही जलते है। विभाग ने बताया कि वादी का मीटर जल जाने के कारण नया मीटर 0[illegible].04.2025 में लगा दिया गया था।

इन परिस्थितियों में तथा बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार वादी के बिल के विद्युत उपभोग पैटर्न देखते हुए विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह नये लगाये गये मीटर के चार महिने के औसत विद्युत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते, चार महिने बिलिंग होने पश्चात, 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराए तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

परिवाद संख्या 310/2026

आदेश

विभाग द्वारा बताया गया है कि वादी का मीटर खराब आने के कारण नया मीटर 06.04.2025 में लगा दिया गया था। इन परिस्थितियों में तथा बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार वादी के बिल के विद्युत उपभोग पैर्टन देखते हुए विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह बदले गये मीटर के चार महिने के औसत विद्युत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते, चार महीने व्यतीत होने पश्चात्, 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराए तत्पश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 30.04.2026

बी० एस० बिष्ट उपभोक्ता सदस्य	[illegible] दीक्षित तकनीकी सदस्य	कु० निर्मला तिवारी न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर

उपस्थिति–

1–ओ0पी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
2–सुरेन्द्र सिंह बिष्ट, सदस्य उपभोक्ता
3.कु0 निर्मला तिवारी, सदस्य न्यायिक

परिवाद संख्या 3[illegible] / 2026

श्री दौलत सिंह,
ग्राम चनौली, पो0ऑ0–बाड़ेछीना,
जिला– अल्मोड़ा। — वादी

बनाम

अधिशासी अभियंता,
विद्युत वितरण खण्ड,
जिला–अल्मोड़ा। — प्रतिवादी

1 वादी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके संयोजन संख्या एआर1411809010766 के सापेक्ष अधिक रीडिंग आ रही है और मीटर जम्प हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने बिल को ठीक करवाने का अनुरोध किया है।

प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 1215 दिनांक 13.04.2026 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, अल्मोड़ा को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2 .मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 30.04.2026 में वादी की तरफ से श्रीमती पुष्पा देवी, वादी की पुत्रवधु तथा विभाग की तरफ से श्री कुमार चौहान एईआर उपस्थित हुए। वादी ने बताया कि विगत में उनके बिल लगभग 50 यूनिट प्रतिमाह के अनुसार आ रहे हैं जो कि मार्च 2026 में 1271 यूनिट का निर्गत हुआ है जो कि गलत है और जंप रीडिंग का है।

बिलिंग हिस्ट्री देखने से प्रतीत होता है कि वादी के बिल वर्षों से 50 यूनिट प्रतिमाह से कम रीडिंग के निर्गत होते रहे हैं जो कि मार्च 2026 में 1271यूनिट का निर्गत हुआ है। विभाग द्वारा मीटर की एम0आर0आई0 की गयी जिसके आधार पर माह जनवरी 2026 और फरवरी 2026 की रीडिंग में काफी अंतर पाया गया है जो कि मीटर रीडिंग जंपिंग का प्रकरण प्रतीत होता है। उन्होंने यह भी बताया कि मीटर की आरटीसी फेल पायी गयी है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिन के अंदर मीटर को बदलें और बदले गये मीटर के चार महिने के औसत विद्युत उपभोग के आधार पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते, चार महीने व्यतीत होने पश्चात, 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं तदपश्चात 10 दिन के अंदर सपरांकन पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी को कहा जाता है कि 15 दिन के अंदर रू0 4000/- लगभग प्रतिभूति जमा करा दें।

परिवाद संख्या 311 / 2026

आदेश

विभाग द्वारा मीटर की एम०आर०आई० की गयी [illegible] जिसके आधार पर माह जनवरी 2026 और फरवरी 2026 की रीडिंग में काफी अंतर पाया गया है जो कि मीटर रीडिंग जनित का प्रकरण प्रतीत होता है। विभाग ने यह भी बताया कि मीटर की [illegible] की [illegible] गयी है।

इन परिस्थितियों में विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वह 10 दिन के अंदर मीटर को बदलें और बदले गये मीटर के चार महीने की [illegible] विद्युत उपभोग के आधार, पर तथा मौसमी प्रभाव को देखते, चार महीने व्यतीत होने पश्चात 15 दिन के अंदर संशोधित बिल वादी को उपलब्ध कराएं, तदपश्चात 10 दिन के अंदर उपरोक्त पर अनुपालन आख्या मंच के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी को कहा जाता है कि 15 दिन के अंदर रू० 4000 [illegible] जमा करा दें।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आदेश आज खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 30.04.2026

बी० एस० बिष्ट उपभोक्ता सदस्य	[illegible] तकनीकी सदस्य	कु० निर्मला तिवारी न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
अल्मोड़ा